# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

## तेरहवां सत्र

## शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2016/2 पौष,1938 (शक्)

## 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए

पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5, वर्ष 2016 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

## 3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति के **262वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 18वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **79वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 112वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **64वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) में शामिल ऑडिट पैरा संख्या:3.4 से 3.7 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **65वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 24वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के **13वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 68वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है।

(3) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति का **31वां मूल प्रतिवेदन** जोकि प्रदेश में संचालित वृद्धावस्था पेन्शन योजना तथा वृद्धों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की गतिविधियों की संविक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति का **21वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

## 4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री विजय अग्निहोत्री**, दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 को दिव्य हिमाचल समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक **"डब्बर पट्टा में हैंडपंप मशीन का घेराव"**, से उत्पन्न स्थिति की ओर **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) **श्री गोविन्द राम शर्मा**, दिनांक 8 दिसम्बर, 2016 को पंजाब केसरी समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक **"मजदूरों की छंटनी का विरोध"**, से उत्पन्न स्थिति की ओर **उद्योग मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

## 5. मन्त्री द्वारा वक्तव्य:

**श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री,** दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को विधान सभा में उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3566 से सम्बन्धित अतिरिक्त सूचना बारे वक्तव्य देंगी ।

## 6. विधायी कार्य :

### सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे** कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण(विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 22)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

**(ii) श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे**

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 23)

कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

**(iii) श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 21)

अधिनियम,1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

**(iv) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 24)

प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

**(v) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016
(2016 का विधेयक संख्यांक 25)

प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

## 7. <u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:</u>

(1) **श्री गुलाब सिंह ठाकुर (31-जोगिन्द्रनगर),** जोगिन्द्रनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 14 नवम्बर, 2016 की रात्री को चौंतड़ा में हुई युवक की निर्मम हत्या में सम्मिलित लोगों के विरूद्ध शीघ्रातिशीघ्र कड़ी कार्रवाई करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(2) **श्री जय राम ठाकुर (29-सिराज),** सिराज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हणोगी नामक स्थान पर ब्यास नदी के ऊपर निर्मित होने वाले पुल की डी0पी0आर0 जनहित में शीघ्रातिशीघ्र तैयार करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(3) **श्री अजय महाजन(6-नूरपुर),** प्रदेश के लोक निर्माण मण्डल, कांगड़ा तथा उप-मण्डल गगल के अन्तर्गत टुण्डू-धनोटु वाया मठ सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र शीघ्रातिशीघ्र जनहित में जारी करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री गुलाब सिंह ठाकुर (31-जोगिन्द्रनगर),** जोगिन्द्रनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नामत: कुछेक राजकीय उच्च पाठशालाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र भरने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(5) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर (22-मनाली),** गत वर्ष प्रशासन द्वारा मनाली से रोहतांग तक सफाई व्यवस्था हेतु अपनाई गई टेण्डर प्रक्रिया बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(6) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर(51-नालागढ़),** नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित की जा रही पेयजल योजनाओं/टयूब वैल्ज़ स्थापित करने हेतु पर्याप्त धनराशि जनहित में शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(7) **श्री कृष्ण लाल ठाकुर(51-नालागढ़),** नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित की जा रही मध्यम सिंचाई योजनाओं की जनहित में शीघ्रातिशीघ्र डी0पी0आर0 तैयार करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(8) **श्री रविन्द्र सिंह(10-देहरा),** प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत टी0बी0 कार्यक्रम में अनुबन्ध पर कार्यरत्त कर्मचारियों के वेतन में शीघ्रातिशीघ्र बढ़ोत्तरी करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(9) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल(5-भटियात),** भटियात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नामत: कुछेक स्थानों के लिए सरकारी/निजी बस सेवा उपलब्ध न होने से स्थानीय जनता को हो रही असुविधा बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(10) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर (22-मनाली),** प्रदेश में ऑल इण्डिया परमिट पर चलाई जा रही बॉल्बो बसों की वैधता बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(11) **श्री हंस राज (1-चुराह),** जिला मण्डी में National Green Tribunal के आदेश द्वारा बन्द किए गए रूमा स्टोन क्रशर द्वारा अवैध खनन करके एकत्रित किए गए Raw Material की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

धर्मशाला-176215<br>दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,<br>सचिव ।

*******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

## तेरहवां सत्र

शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2016 / 2 पौष, 1938 (शक्)
के लिए निर्धारित प्रश्न सूची हेतु

## शुद्धिपत्र

| प्रश्न संख्या | शुद्धियां |
|---|---|

### तारांकित प्रश्न

*3648 डॉ0 राजीव बिन्दल (नाहन) शब्दों का "विलोप किया गया"।

*3662 श्री रणधीर शर्मा(श्री नैना देवीजी) के प्रश्न का "विलोप किया गया"।

धर्मशाला-176215
दिनांक: 22 दिसम्बर, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

********